राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 156/2014/कोटा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, रानपुर, कोटा. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

निर्णय दिनांक : 17/09/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 56/वैट/12–13/कोटा में पारित किये गये आदेश दिनांक 13.08.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–प्रतिकरापवंचन, कोटा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि 2010–11 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधियिम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 25, 61, 65 व 55 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 21.03.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को निदेशक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन विभाग द्वारा Private Sub e-Market स्थापित करने हेतु लाईसेंस जारी किया गया था। इस लाईसेंस के अधीन राजस्थान कृषि उत्पादन विपणन अधिनियम, 1961 के तहत निजी प्लेटफॉर्म पर किसानों के माल को क्रेताओं द्वारा सीधे खरीद–विक्रय करने की सुविधा प्राप्त हुई थी। उक्त लाईसेंस के तहत प्रत्यर्थी द्वारा बारां रोड़, कोटा में प्राईवेट सब ई–मार्केट मण्डी की हैसियत से किसानों के माल को व्यवसायियों द्वारा सीधे खरीद करवाये जाने की सुविधा प्रदान की गयी थी। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मण्डी के खरीद बिक्री संव्यवहारों का लेखा रखा जाता था। इस सुविधा से विभिन्न किसानों एवं क्रेता व्यवसायियों द्वारा कृषि उत्पादों का संव्यवहार ई–मण्डी में किया गया था। उक्त ई–मण्डी प्लेटफॉर्म की जांच वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाकर समस्त खरीद, बिक्री को प्रत्यर्थी व्यवहारी की खरीद एवं बिक्री मानते हुए उसे पंजीयन दायित्व के लिये

लगातार............2

उत्तरदायी मानते हुए वेट अधिनियम के तहत पंजीकरण करवाने एवं कर जमा कराने के आदेश दिये गये। विभाग के आदेश पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा खरीद बिक्री के कुल संव्यवहार रूपये 7,05,95,857/– पर 4 प्रतिशत से कर जमा करवाया गया परन्तु इसे लेखा–पुस्तकों में प्रदर्शित नहीं करने से कर निर्धारण अधिकारी ने इसे करापवंचन का कृत्य मानते हुए कर राशि की दुगुनी राशि की शास्ति अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित की गयी। इसके अलावा सर्वे के दौरान भौतिक रूप से पायी गयी 550 बोरी सोयाबीन का लेखांकन उनकी लेखा–पुस्तकों में नहीं किये जाने के आक्षेप में उसके मूल्य पर 4 प्रतिशत से करारोपण किया गया। भौतिक जांच में 300 बोरी सोयाबीन वाहन संख्या आर. जे.14/ 2जी–6966 कीमतन रूपये 6,21,000/– एवं वाहन संख्या आर.जे.14/ जी–6754 से 250 बोरी कीमतन 5,06,250/– थी। इन दोनों ही वाहनों से आये माल का जमाखर्च प्रत्यर्थी द्वारा नहीं किया जाना मानते हुए इस पर कर एवं शास्ति आरोपित की गई।

3. उक्त पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.3.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13.7.2013 को निर्णय किया गया, जिसमें सम्पूर्ण प्रकरण का स्पष्ट तथ्यान्वेषण करते हुए तथा प्रत्यर्थी द्वारा स्वेच्छा से कर जमा कराने के कारण आरोपित कर को यथावत रखा गया। परन्तु व्यवहारी द्वारा स्वयं को डीलर की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होना मानने से इस बिन्दु पर संशय होने एवं समस्त संव्यवहार का जमाखर्च होने से इसे कर चोरी का अपराध नहीं मानते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया।

अपीलीय अधिकारी ने वाहन संख्या आर.जे.14/जी–6754 से प्राप्त 250 बोरी सोयाबीन कीमतन 5,06,250/– पर 4 प्रतिशत की दर से आरोपित किये गये कर, ब्याज एवं शास्ति को यथावत रखा, परन्तु अन्य वाहन संख्या आर.जे. 14/2जी–6966 में लदे हुए माल 300 बोरी सोयाबीन कीमतन 6,21,000/– को उचन्त मानते हुए इस पर आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को इसलिए अपास्त किया कि उसी माल पर दिनांक 17.12.2010 को विभाग द्वारा बनाये गये अभियोग को प्रशमित करते हुए कर एवं कर के बराबर प्रशमन राशि की वसूली की जा चुकी थी, अतः एक ही माल पर किये गये दोहरे करारोपण को अविधिक मानते हुए दोबारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किया गया। उक्त अपीलीय आदेश के विरूद्ध यह अपील विभाग द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

लगातार............3

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए अपीलीय आदेश को अपास्त कर, आरोपित शास्ति को पुनर्स्थापित किये जाने का अनुरोध किया। इसी तरह अन्य बिन्दुओं पर सहायक आयुक्त द्वारा कर बोर्ड में प्रस्तुत अपील के आधारों को दोहराते हुए उनकी अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अध्ययन के पश्चात् गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

6. सर्वप्रथम राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील में सहायक आयुक्त, वृत–प्रतिकरापवंचन, कोटा के अपील आधारों के अवलोकन पर पाया गया कि उनके द्वारा अपीलीय आदेश को पढ़े बिना ही यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी ने अपने अपील ज्ञापन में यह मांग की है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा रूपये 28,23,835/– के कर को अपास्त करने में भूल की है, जबकि अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13.8.2013 में उक्त कर राशि मय ब्याज के यथावत रखी गयी है, इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपील निर्णय को पढ़े बिना प्रस्तुत की गयी अपील पर यह पीठ आश्चर्य व्यक्त करती है।

7. राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील के इस बिन्दु पर कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में भूल की है, पर विचार किया गया। इस प्रकरण में पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अध्ययन से यह साफ जाहिर है कि उक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी को राज्य सरकार की ओर से निजी विपणन मण्डी स्थापित करने का लाईसेंस प्राप्त था, जिसके तहत वे प्राईवेट सब–मार्केटिंग यार्ड के रूप में कार्य कर रहे थे, जिसके लिये कृषि विभाग की ओर से लाईसेंस प्राप्त किया हुआ था। उल्लेखनीय है कि स्वयं कर निर्धारण आदेश में भी यह अंकित है कि मुख्य सचिव (कृषि) द्वारा दिनांक 11.01.2012 को अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) को यह पत्र लिखा गया था कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के उक्त स्पॉट एक्सचेंज में स्वयं के लिये खरीद एवं बिक्री करने की अनुमति नहीं है एवं उसे केवल एक प्राईवेट ई–मार्केट के रूप में उत्पादनकर्ताओं का माल सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय करने का प्लेटफॉर्म प्रदान करने का कार्य है एवं विधिक रूप से वह राजस्थान कृषि उत्पादन विपणन अधिनियम, 1961 के नियमों के अनुसार ही किसी माल का क्रय कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ऐसे लाईसेंसधारक को उत्पादनकर्ता

लगातार............4

एवं व्यवसायी के बीच की विक्रय संविदा में मूल्य राशि के "भुगतान" की गारण्टी देनी अनिवार्य होती है, जिसके लिये लाईसेंसधारी द्वारा गारण्टी फण्ड भी रखा जाना आवश्यक होता है। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से भी यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को यह विधिक सलाह दी गयी थी कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को विक्रेता एवं क्रेता के बीच के संव्यवहारों का लेखा संधारित किया जाना था जिसमें विक्रेता एवं क्रेता के बीच लेनदेन में जारी बिलों की प्रतियां मण्डी में संधारित की जानी थी, जैसा कि उनके द्वारा प्रस्तुत एनेक्श्चर–4 में शर्तें विहित की हुई थी। प्रत्यर्थी ने वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जांच की जाने पर उनके निर्देशों की पालना करते हुए समस्त संव्यवहारों पर स्वयं का कर दायित्व मानते हुए कर राजकोष में जमा करवा दिया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजों की जांच पर प्रथम दृष्ट्या व्यवहारी का पंजीयन दायित्व नहीं होना प्रतीत होता है परन्तु विभाग के निर्देशों पर कर दायित्व ग्रहण किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा लाईसेंस अनुसार प्राईवेट मण्डी यार्ड के रूप में लाईसेंस की शर्तों अनुसार मण्डी प्लेटफॉर्म पर किये गये सभी संव्यवहारों को अपने लेखों में संधारित किया हुआ था। इस तरह किसी भी संव्यवहार को नहीं छिपाते हुए एवं स्वयं की खरीद बिक्री नहीं होने के कारण एक व्यवहारी (डीलर) की श्रेणी में नहीं आने के सद्विश्वास से स्वयं द्वारा कर उद्ग्रहण नहीं करने के कृत्य को करापवंचन का आधार मानना अनुचित था। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में शास्ति के आरोपण को अनुचित मानते हुए उसे अपास्त करने में कोई भूल नहीं की है। चूंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विभाग के निर्देशानुसार पंजीयन प्राप्त कर, कर जमा करवा दिया गया था तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा कर एवं ब्याज जमा होने से इसकी पुष्टि की गयी है वह विभाग के पक्ष में पारित आदेश है।

8. प्रकरण में रूपये 6,21,000/– की बिक्री पर आरोपित कर को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने में विभाग द्वारा अपील में जो विवाद किया गया है वह भी बिना किसी आधार एवं तथ्यों के परीक्षण किये बिना ही किया गया है क्योंकि अपीलीय अधिकारी द्वारा जांच कर यह पुष्टि होने पर कि रूपये 6,21,000/– के माल पर स्वयं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 17.12.2010 को ही अर्थात् सर्वेक्षण के दूसरे दिन ही उस माल पर करवंचना अभियोग स्थापित कर उसका प्रशमन कर दिया गया था जिसमें कर एवं शास्ति के स्थान पर प्रशमन राशि वसूल की जा चुकी थी परन्तु उसी माल पर कर निर्धारण आदेश में दुबारा कर एवं शास्ति आरोपित कर दी गई जो त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि एक ही माल पर दो बार करारोपण किया गया था जिसे अपीलीय अधिकारी

लगातार............5

द्वारा अपास्त करने का उचित निर्णय किया है। विभाग के सहायक आयुक्त द्वारा इस तथ्य का परीक्षण किये बिना ही अपील में उक्त राशि को पुनर्स्थापित किये जाने का अनुरोध किया गया है, वह अनुचित एवं आश्चर्यजनक है, फलतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पूर्ण परीक्षण के साथ किये गये अपील निर्णय में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होने से राजस्व की अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य